उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 22.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 22.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खन्ना- विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में

थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

थाना श्रीनगर – कस्बा श्रीनगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में

थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

थाना कुलपहाड़ – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

थाना अजनर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

महिला थाना – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन

1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,

108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांकः- 22.09.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारिओं द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 22.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे0कां0 दयाराम व कां0 राहुल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/333/118(1)/115(2)/352/324(2)/351(3)/109(1) BNS से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.सोहिल उर्फ बाबा पुत्र लल्लू खां उम्र 21 वर्ष 2.अरबाज खान पुत्र जमाल खां उम्र 22 वर्ष निवासी गण ग्राम सुदामापुरी थाना चरखारी जनपद महोबा को गोवर्धन मेला पार्क के पास सूपा चौराहा कस्बा व थाना चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2.हे0कां0 दयाराम, 3.कां0 राहुल यादव

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.सोहिल उर्फ बाबा पुत्र लल्लू खां उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम सुदामापुरी थाना चरखारी जनपद महोबा

2.अरबाज खान पुत्र जमाल खां उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सुदामापुरी थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-22.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह मय हमराह हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अरूण रिछारिया पुत्र प्रेमचन्द्र रिछारिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम परा रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 163/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी

गिरफ्तार अभियुक्त-

अरूण रिछारिया पुत्र प्रेमचन्द्र रिछारिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम परा रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

112 उत्तर प्रदेश आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांकः- 22.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त कामता प्रसाद कुशवाहा पुत्र झुल्लन उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम धवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम धवार के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 21 क्वार्टर अवैध शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 164/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त रतन सिंह पटेल पुत्र रामसनेही पटेल उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम दिदवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम धवार के पास से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 22 क्वार्टर अवैध शराब बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 165/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

प्रथम पुलिस टीम-

1.उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह 2.हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी 3.कां0 मनोज कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव 2.कां0 रोहित लोधी

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.कामता प्रसाद कुशवाहा पुत्र झुल्लन उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम धवार थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2.रतन सिंह पटेल पुत्र रामसनेही पटेल उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम दिदवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

@MahobaPolice

!! पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जनपद महोबा में आयोजित हुई साइबर जागरूकता कार्यक्रम !!

आज दिनांक- 22.09.2025 को साइबर अपराध के जागरुकता अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, जनपद महोबा के छात्र-छात्राओं को श्रीमान् क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में हे0कां0 विश्ववीर सिंह, कां0 अमनदीप सिंह, कां0 सुरजीत कुमार, कां0 अखिलेश कुमार, साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम जनपद महोबा द्वारा साइबर अपराध से अपने आप को कैसे बचाये एवं साइबर फ्राड हो जाने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल(NCRP) द्वारा जारी टोल फ्री न0 1930 पर काल करके अपनी शिकायत दर्ज करे या साइबर पोर्टल बेवसाइट cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करे एवं नजदीकी थाना या साइबर थाना में सम्पर्क करे।

साइबर जागरूकता में क्या करें और क्या न करें (Do’s & Don’ts in Cyber Awareness)-

✓ क्या करें (Do’s)-

1. मजबूत पासवर्ड बनाएं – पासवर्ड कम से कम 8-12 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और विशेष चिह्न (*@#%&) शामिल हों।

2. दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA) का उपयोग करें – अपने बैंक, ईमेल और सोशल मीडिया खातों में 2FA चालू रखें।

3. सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस अपडेट करें – कंप्यूटर और मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम को समय-समय पर अपडेट करते रहें।

4. सार्वजनिक Wi-Fi से बचें – यदि उपयोग करना ज़रूरी हो, तो VPN (Virtual Private Network) का उपयोग करें।

5. विश्वसनीय वेबसाइटों से ही खरीदारी करें – URL "https://" से शुरू होनी चाहिए और साइट के प्रमाणपत्र (SSL) को जांचें।

6. संदेहजनक ईमेल और लिंक की जांच करें – किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करें।

7. सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी साझा करें – अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे फोन नंबर, पता या बैंक डिटेल्स सार्वजनिक न करें।

8. डेटा का बैकअप रखें – महत्वपूर्ण फ़ाइलों का बैकअप नियमित रूप से क्लाउड या एक्सटर्नल ड्राइव में लें।

9. संदेहास्पद गतिविधि की रिपोर्ट करें – साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं को cybercrime.gov.in या लोकल पुलिस में रिपोर्ट करें।

10. सुरक्षित ब्राउज़िंग करें – अज्ञात वेबसाइटों पर जाने से बचें और पॉप-अप विंडोज को अनदेखा करें।

❌ क्या न करें (Don'ts)-

1. कमज़ोर पासवर्ड का उपयोग न करें – '123456', 'password', 'abcd1234' जैसे आसान पासवर्ड न बनाएं।

2. अनजान ईमेल या फ़ोन कॉल पर विश्वास न करें – किसी भी संदिग्ध ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें या कॉल पर बैंक डिटेल्स न बताएं।

3. ओपन नेटवर्क या सार्वजनिक Wi-Fi पर महत्वपूर्ण कार्य न करें – बैंकिंग या लॉगिन जैसी संवेदनशील गतिविधियां सार्वजनिक नेटवर्क पर न करें।

4. फिशिंग अटैक का शिकार न बनें – अगर कोई बैंक, कंपनी या दोस्त संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट भेजे, तो बिना जांचे न खोलें।

5. फेक ऐप्स डाउनलोड न करें – हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या Google Play Store / Apple App Store से ही ऐप डाउनलोड करें।

6. USB या अनजान डिवाइस को बिना स्कैन किए कनेक्ट न करें – इससे वायरस और मैलवेयर का खतरा हो सकता है।

7. सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग न करें – यात्रा की जानकारी, लोकेशन, बैंक डिटेल्स या OTP किसी के साथ साझा न करें।

8. बिना जांचे QR कोड स्कैन न करें – साइबर ठग फर्जी QR कोड के जरिए पैसे उड़ा सकते हैं।

9. ऑनलाइन फ्रॉड में जल्दबाजी न करें – किसी भी ऑफर, इनाम या जॉब के नाम पर जल्दबाजी में पैसे न भेजें।

10. साइबर अपराध को नजरअंदाज न करें – यदि आपको कोई संदिग्ध गतिविधि मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

नवरात्रि पर्व पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद – पुलिस अधीक्षक महोबा ने पैदल गश्त कर दिए सुरक्षा के विशेष निर्देश।

आज दिनांक 22.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मिश्रित आबादी वाले प्रमुख संवेदनशील स्थान, प्रमुख कस्बा बाजार एवं प्रमुख चौकों पर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा नगर क्षेत्र में स्थापित दुर्गा पंडालों का भ्रमण कर आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्हें अग्निशमन यंत्रों के संचालन की जानकारी प्रदान करते हुए हर पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में उन्होंने व्यापारीगण एवं आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हेतु प्रेरित किया, जिससे भीड़भाड़ वाले स्थानों की सतत निगरानी की जा सके। साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं समय सीमा के अनुसार ही करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि नवरात्रि पर्व शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की जानकारी तत्काल स्थानीय पुलिस को दें तथा पर्व को आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अभियोग में नामित अभियुक्त को 2,400 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

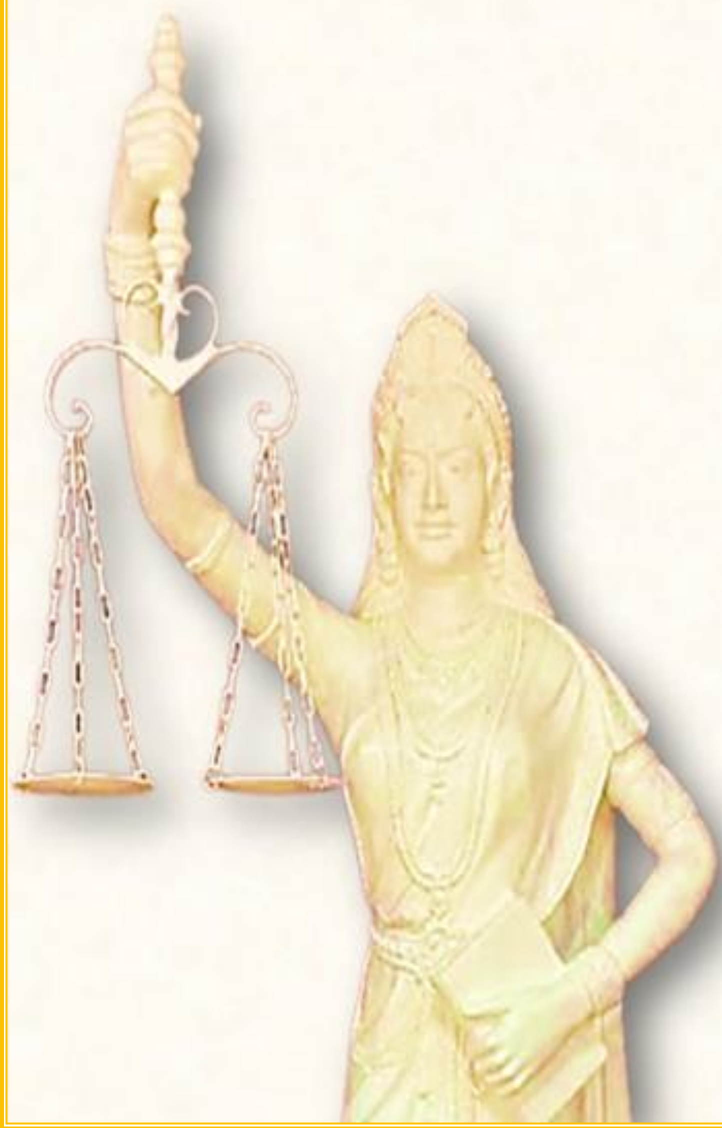

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सी.जे.एम महोबा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियुक्त को पास से अवैध गैस सिलेण्डर बरामद होने के सम्बन्ध में दोषसिद्ध घोषित करते हुये न्यायालय उठने तक की सजा व 2,400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु.अ.सं. 3179/08 धारा 3/7 ई.सी एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त राजू पुत्र मोहन चौरसिया निवासी इमलीबरा थाना कोतवाली नगर महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2400 ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है,

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

शस्त्र अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 685/2009 धारा 25 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त देव सिंह पुत्र हीरा सिंह राजपूत निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को जेल में बिताई गयी अवधि व 1,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।